UNNAO POLICE

प्रेस नोट 01- दिनांक 20.07.2024

थाना अजगैन, जनपद उन्नाव।

युवक की हत्या की घटना का हुआ सफल अनावरण, हत्या करने वाले अभियुक्त व हत्या कराने वाली मृतक की माँ एवं माँ का मित्र गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी हसनगंज के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना अजगैन पुलिस द्वारा दिनांक 04 जून को दरबारी खेड़ा में घटित युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या करने वाले अभियुक्त व घटना की योजना मे शामिल मृतक की माँ एवं माँ के मित्र को आलाकत्ल एक अदद चाकू बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 05.06.2024 को प्राथी ताहिर हुसैन पुत्र मो० युनुस निवासी अजीत गंज बाबू पुरवा थाना बाबू पुरवा जनपद कानपुर नगर द्वारा थाना अजगैन पर तहरीरी सूचना दी गई कि मेरा भांजा मो० नदीम पुत्र स० मो० नईम निवासी अलहम्द रेसिडेन्सी इफतिखाराबाद थाना अनवर गंज कानपुर नगर दिनांक 4/6/2024 घर से मोटर साईकिल नं0 UP78HM7854 से दुकान कारसताना रोड के लिये करीब 2 बजे दोपहर में निकला था, देर रात जब घर नही आया तो मेरी बहन आरफा बेगम ने रात करीब 10 बजे भांजे नदीम को फोन मिलाया जो कि स्विच आफ था। आज सुबह सूचना मिली की अजगैन थाना क्षेत्र में दरबारी खेडा में रोड के किनारे कूए में मेरे भांजे का शव पड़ा है तथा मोटर साइकिल कुए के पास खड़ी है तथा कुए के आस पास खून पड़ा है। सूचना पाकर मै, मेरी बहन व परिवार जन मौके पर आए। शव के कुंए से बाहर निकलने पर देखा गया कि मेरे भांजे मो0 नदीम उम्र करीब 30 वर्ष की हत्या कर कुए में किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फेक दिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 175/2024 धारा 302/201 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

उक्त अभियोग की गहराई से विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त सलीम पुत्र सद्दीक निवासी गली नं0 15 नवल नगर मोहल्ला लौंगिया थाना गंज जिला अजमेर राजस्थान उम्र करीब 46 वर्ष को रेलवे स्टेशन उन्नाव के पास से मुखबिर की सूचना पर दिनांक 19.07.2024 को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल(चाकू) मांस फैक्ट्री तिराहे के पास से एक पालास्टिक की पन्नी से बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त सलीम द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा ही मो. नदीम की चाकू से गला रेतकर दिनांक 04.06.2024 की हत्या कर दी गई थी तथा उसकी लाश को वही पर लखनऊ कानपुर मार्ग पर मंदिर के पास बने कुँए में डाल दिया था, लेकिन ये हत्या मैनै पैसो के लालच में नदीम की माँ आरफा बेगम पत्नी स्व0 मो नईम निवासी अलहम्द रेजीडेन्सी इफ्तखाराबाद-थाना-अनवरगंज कानपुर व हासम अली पुत्र कासम अली निवासी कोडरा पसन नगर नागपाड़ी वाली मंदिर थाना किशनगंज जिला अजमेर राजस्थान के कहने पर योजना बद्ध तरीके से की है। जिसके लिये मैनै ढाई लाख रुपये की मांग की थी, जिसमें से कुछ पैसे मिलना अभी बाकी था।

आरफा बेगम पत्नी स्व0 मो0 नईम व हासम अली पुत्र कासम अली उपरोक्त के मध्य प्रेम संबंध है तथा आरफा बेगम अपनी सम्पत्ति को बेंचकर अजमेर में हासिम के साथ रहना चाहती थी, जिस कारण नदीम विरोध करता था और इस कारण ही उसका विवाद अपनी मां आरफा बेगम के साथ होता रहता था। आरफा बेगम व हासम अली के मध्य मो0 नदीम बाधा बन रहा था जिसको हटाने से आरफा बेगम को रहने की आजादी व मकान दुकान को बेंचकर अजमेर में हासम के साथ रहने का मौका मिल जाता। इसीलिये इन दोनों ने मिलकर मो0 नदीम की हत्या मुझसे करायी है।

अभियुक्त सलीम उपरोक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी व बयान के आधार पर मु0अ0स0 175/2024 धारा 302/201 भादवि में अभियुक्तगण आरफा बेगम पत्नी स्व0 मो0 नईम निवासी अलहम्द रेजीडेन्सी इस्तखाराबाद अनवरगंज जिला कानपुर नगर उम्र करीब 50 वर्ष व हासम अली पुत्र कासम अली निवासी नाग पहाड़ी वाले वाला जी मन्दिर कोडरा पसन्द नगर थाना क्रिसचद गंज जिला अजमेर राजस्थान उम्र करीब 43 वर्ष का नाम प्रकाश में आया है। आज दिनांक 20.07.2024 को आजाद मार्ग चौराहा पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1.आरफा बेगम पत्नी स्व0 मो0 नईम निवासी अलहम्द रेजीडेन्सी इस्तखाराबाद अनवरगंज जिला कानपुर नगर उम्र करीब 50 वर्ष 2. हासम अली पुत्र कासम अली निवासी नाग पहाड़ी वाले वाला जी मन्दिर कोडरा पसन्द नगर थाना क्रिसचद गंज जिला अजमेर राजस्थान उम्र करीब 43 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है। साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 120 बी भा0दं0वि0 बढ़ोत्तरी कर तीनों अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. सलीम पुत्र सद्दीक निवासी गली नं0 15 नवल नगर मोहल्ला लौंगिया थाना गंज जिला अजमेर राजस्थान उम्र करीब 46 वर्ष
2.आरफा बेगम पत्नी स्व0 मो0 नईम निवासी अलहम्द रेजीडेन्सी इस्तखाराबाद अनवरगंज जिला कानपुर नगर उम्र करीब 50 वर्ष
3. हासम अली पुत्र कासम अली निवासी नाग पहाड़ी वाले वाला जी मन्दिर कोडरा पसन्द नगर थाना क्रिसचद गंज जिला अजमेर राजस्थान उम्र करीब 43 वर्ष।

बरामदगी- आलाकत्ल एक अदद चाकू

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री अवनीश कुमार सिंह
2. निरी0 अपराध श्री रामनारायण
3. का0 अर्पित
4. का0 पवन
5. का0 यशवीर
6. का0 अरूण कुमार
7. म0का0 विमल
8. का0 सूरज पाल(चालक)

सर्विलांस टीम-

1. हे0का0 राधेश्याम

प्रेस नोट 02- दिनांक 20.07.2024

थाना कोतवाली सदर, जनपद उन्नाव।

दो शातिर लुटेरे गिरफ्तार, लूट का सामान व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा दो शातिर लुटेरों को लूट का सामान व घटना मे प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 01.07.2024 को वादी मुकदमा राजकुमार रावत उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र लल्लू नि0 ग्राम शेखपुर नरी थाना कोतवाली सदर उन्नाव अपनी पत्नी व बच्चे को मोटर साइकिल पर बैठा कर अपनी ससुराल हिन्दूखेड़ा जा रहे थे रास्ते में हुसैन नगर चौराहे के आगे नवीन मण्डी से थोड़ा पहले कानपुर लखनऊ मार्ग पर अचानक बगल से गुजर रहे अज्ञात मोटर साइकिल सवार दो नफर अभियुक्तगणों द्वारा वादी की पत्नी का पर्स छीन लेने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पर्श के अन्दर एक मोबाइल रेड-मी व एक जोडी झुमकी व एक लाकेट व 5 हजार रुपये थे। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 19.07.2024 को गदनखेडा चौराहे के पास वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्तगण 1. जय शिव गुप्ता पुत्र मनोज कुमार गुप्ता नि0 39डी सैनिक नगर अहिरवां थाना चकेरी कानपुर नगर उम्र करीब 22 वर्ष 2. आकिल उर्फ सन्नू पुत्र मो0 यामीन नि0 140/2 जूहीलाल कालोनी थाना किदवई नगर कानपुर नगर उम्र करीब 38 वर्ष को एक अदद लाकेट पीली धातु काले मोती में गुथे हुए, एक अदद नाक की कील पीली धातु, एक जोड़ा कान के टप्स पीली धातु, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल नं0 UP78HU3096 हीरो एक्सट्रीम बरामद कर गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्तगण को धारा 392/411 भा0दं0वि0 के अभियोग के तहत मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्तगण का विवरण-

1. जय शिव गुप्ता पुत्र मनोज कुमार गुप्ता नि0 39डी सैनिक नगर अहिरवां थाना चकेरी कानपुर नगर उम्र करीब 22 वर्ष
2. आकिल उर्फ सन्नू पुत्र मो0 यामीन नि0 140/2 जूहीलाल कालोनी थाना किदवई नगर कानपुर नगर उम्र करीब 38 वर्ष

बरामदगी-

1-- एक अदद लाकेट पीली धातु काले मोती में गुथे हुए
2-- एक अदद नाक की कील पीली धातु
3-- एक जोड़ा कान के टप्स पीली धातु
4—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल नं0 UP78HU3096 हीरो एक्सट्रीम

अपराधिक इतिहास-

जयशिव गुप्ता

1. मु0अ0सं0 261/19 धारा 392/411 भादवि थाना किदवई नगर कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 287/19 धारा 392/411 भादवि थाना किदवई नगर कानपुर नगर

3. मु0अ0सं0 288/19 धारा 392/411 भादवि थाना किदवई नगर कानपुर नगर
4. मु0अ0सं0 344/19 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना किदवई नगर कानपुर नगर
5. मु0अ0सं0 545/19 धारा 147/323/336/504/506 भादवि व 3(1)घ Sc/St Act थाना चकेरी कानपुर नगर
6. मु0अ0सं0 746/18 धारा 379/411 भादवि थाना चकेरी कानपुर नगर
7. मु0अ0सं0 997/19 धारा 379/411 भादवि थाना चकेरी कानपुर नगर
8. मु0अ0सं0 83/19 धारा 41/411/413/414 भादवि थाना बादशाही नाका कानपुर नगर
9. मु0अ0सं0 297/19 धारा 392/411 भादवि थाना रेल बाजार कानपुर नगर
10. मु0अ0सं0 610/18 धारा 379/411 भादवि थाना घाटमपुर कानपुर नगर
11. मु0अ0सं0 417/18 धारा 413/420 भादवि थाना घाटमपुर कानपुर नगर

आकिल उर्फ अकील उर्फ सन्नू

1. मु0अ0सं0 113/18 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली कानपुर नगर
2. मु0अ0सं0 23/19 धारा 392 भादवि थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव
3. मु0अ0सं0 541/19 धारा 392 भादवि थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव
4. मु0अ0सं0 772/19 धारा 393 भादवि थाना बर्रा कानपुर नगर
5. मु0अ0सं0 955/19 धारा 392/411 भादवि थाना चकेरी कानपुर नगर
6. मु0अ0सं0 979/19 धारा 392/411 भादवि थाना चकेरी कानपुर नगर
7. मु0अ0सं0 457/19 धारा 392/411 भादवि थाना पनकी कानपुर नगर
8. मु0अ0सं0 279/20 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना चमनगंज कानपुर नगर
9. मु0अ0सं0 401/19 धारा 392/411 भादवि थाना चमनगंज कानपुर नगर
10. मु0अ0सं0 428/19 धारा 307 भादवि थाना चमनगंज कानपुर नगर
11. मु0अ0सं0 429/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना चमनगंज कानपुर नगर
12. मु0अ0सं0 431/19 धारा 411 भादवि थाना चमनगंज कानपुर नगर
13. मु0अ0सं0 185/19 धारा 392/411 भादवि थाना स्वरुप नगर कानपुर नगर
14. मु0अ0सं0 218/09 धारा 307 भादवि थाना जूही कानपुर नगर
15. मु0अ0सं0 003/11 धारा 380/411/457 भादवि थाना मूलगंज कानपुर नगर
16. मु0अ0सं0 327/12 धारा 392/411 भादवि थाना किदवई नगर कानपुर नगर
17. मु0अ0सं0 354/12 धारा 356/392 भादवि थाना किदवईनगर कानपुर नगर
18. मु0अ0सं0 458/12 धारा 414 भादवि थाना किदवईनगर कानपुर नगर
19. मु0अ0सं0 478/12 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना किदवईनगर कानपुर नगर
20. मु0अ0सं0 488/11 धारा 356/411 भादवि थाना किदवईनगर कानपुर नगर
21. मु0अ0सं0 001/08 धारा 356/392/411 भादवि थाना ग्वालटोली कानपुर नगर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 राजेश कुमार दीक्षित
2. हे0का0 भालचन्द्र,
3. हे0का0 प्रभाकर राय
4. हे0का0 भइयालाल,
5. हे0का0 संजीव कुमार,
6. का0 राजेश कुमार

प्रेस नोट 03- दिनांक 20.07.2024

थाना बीघापुर, जनपद उन्नाव।

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी तथा क्षेत्राधिकारी बीघापुर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बीघापुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 20.07.2024 को थानाध्यक्ष श्री राजपाल मय हमराह फोर्स द्वारा थाना बीघापुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 93/24 धारा 376D/323/506 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गौरव पुत्र निर्भय उम्र करीब 22 वर्ष निवासी शास्त्री नगर कस्बा व थाना बीघापुर जनपद उन्नाव को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया तथा मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. गौरव पुत्र निर्भय उम्र करीब 22 वर्ष निवासी शास्त्री नगर कस्बा व थाना बीघापुर जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री राजपाल थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
2. हे0का0 चन्द्र प्रकाश तिवारी थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
3. का0 संजय यादव 1 थाना बीघापुर जनपद उन्नाव
4. का0 संजय कुमार यादव 2 थाना बीघापुर जनपद उन्नाव